# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद-पत्र संख्या : 40 / 2018

वाद दायरी दिनांक : 17 / 05 / 2018

निर्णय दिनांक : 02 / 09 / 2019

1. देदाराम पुत्र रामनारायण जाति जाट, निवासी बज्या की ढाणी, रन बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. छीतर पुत्र रामनारायण, जाति जाट, निवासी बज्या की ढाणी, रन बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र भैरु जाति जाट, निवासी बज्या की ढाणी रन बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. रामकरण पुत्र भैरु, जाति जाट, निवासी बज्या की ढाणी, रन बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादीगण

## वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955)

उपस्थिति  श्री प्रहलाद कठवा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री निरंजन कुमार पारीक
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

Scanned by CamScanner

रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम हन्वन्तपुरा, तहसील मौजमाबाद में हिस्सा सम्पूर्ण सोनी पत्नी रामनारायणके नाम से है, खाता संख्या 680 के आराजी खसरा नम्बर 1417 रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1423 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 1[illegible] कुल रकबा 5.2600 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जो वर्तमान मे सोनी पत्नी रामनारायण के नाम से हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, इसी प्रकार खाता संख्या 990 के आराजी खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1168 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1170 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1175 रकबा 1.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.4800 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 3.8200 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर मे स्थित है, जो वर्तमान मे सोनी पत्नी रामनारायण के नाम से हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, सोनी पत्नी रामनारायण वादीगण की माता है, इसलिये उक्त सोनीदेवी के नाम से दर्ज आराजी के वादीगण एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं वादीगण मौके पर आज भी काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इसी अनुसार रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था। शिजरा पेश कर अंकित किया कि भैरू के तीन पुत्र रामनारायण, रामचन्द्र, रामकरण हुये, जिनके रामनारायण के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से रामनारायण अपने जीवनकाल मे ही अपने भाई रामचन्द्र व रामकरण के पुत्र क्रमशः देवाराम व छीतर को दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया था तथा अपने पास ही बहैसियत पुत्रवत रखा। वादीगण ने ही रामनारायण व उसकी पत्नि सोनीदेवी की समस्त सेवा सुश्रुषा की तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनका बारहवा, पिण्डदान आदि क्रियाकर्म किये। इस प्रकार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात रही है। विवादित आराजीयात सम्पूर्ण पूर्व में रामनारायण की आराजीयात रही है, जिसके स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजीयात वादीगण के नाम बराबर-बराबर हिस्से अनुसार दर्ज होनी चाहिये थी, लेकिन वादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

की माता सोनीदेवी ने राजस्व कारकुनानो से साजकर उक्त आराजीयात का स्व0 रामनारायण का विरासत का नामान्तरकरण अकेले अपने हक मे खुलवा लिया, जो गलत है, जबकि वादीगण स्व0 रामनारायण के दत्तक पुत्र होने से उनका भी स्व0 रामनारायण व सोनीदेवी की आराजीयात मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बराबर–बराबर हक व हिस्सा है। मौके पर स्व0 रामनारायण की आराजीयात मे वादीगण एव सोनीदेवी का बराबर–बराबर अर्थात 1/3–1/3 हक व हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर अब तक शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है, इसके पश्चात वादीगण की माता सोनीदेवी का भी स्वर्गवास दिनांक 29.10.2017 को हो चुका है, इसलिये अब रामनारायण व सोनीदेवी के वादीगण ही एकमात्र विधिक वारिसान है, इसलिये कानूनन स्व0 सोनीदेवी के नाम दर्ज उक्त आराजीयात के वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण के नाम से दर्ज अन्य कयशुदा आराजीयात मे वादीगण की वल्दियत रामनारायण ही दर्ज है एवं वादीगण की अन्य सभी दस्तावेजात मे वादीगण की वल्दियत रामनारायण ही दर्ज है एव वादीगण द्वारा अन्य आराजीयात जो क्रय की गयी है, उसमे वादीगण की वल्दियत रामनारायण ही दर्ज है, जिससे भी साबित है कि वादीगण रामनारायण के दत्तक पुत्र है तथा खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण जो कि स्व0 रामनारायण के सगे भाई है, जो रामनारायण के द्वितीय श्रेणी के विधिक वारिसान है, जिनका उक्त विवादित आराजीयात मे कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है, मात्र उनको परफोरमा पक्षकार कायम किया गया है। अभी हाल ही मे दिनांक 10/05/2018 को कहा तो वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार मौजमाबाद को स्व0 सोनीदेवी की विरासत का नामान्तरकरण खोलने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 3 ने नामान्तरकरण खोलने से साफ इन्कार कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी सहयोग करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादीगण द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित विवादित आराजीयात मे स्व0 सोनीदेवी के नाम दर्ज आराजीयात के वादीगण बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाकर डिक्री की पालना हेतु तहसीलदारजी मौजमाबाद को लिखा जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी

निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादीगण के हिस्से की आराजी में प्रतिवादीनी संख्या 1 किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करे न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें तथा न ही समस्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 14/06/2018 को पत्रावली "न्याय आपके द्वार" शिविर अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बोराज में पेश हुई। कैम्प में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से श्री निरंजन पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने राजीनामा पेश किया। जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 12/09/2018 को वादी द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू 1 देवाराम, पी.डब्ल्यू 2 छीतर के शपथ–पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर बयान लिये गये। दिनांक 18/09/2018 को वादीगण द्वारा गवाह वादी पी.डब्ल्यू 3 घीसाराम, पी.डब्ल्यू 4 दयालराम के शपथ–पत्र पेश किये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर बयान लिये गये। वकील वादीगण और साक्ष्य पेश न कर बहस करना जाहिर किया तथा प्रतिवादी अधिवक्ता भी साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 3 फोरमल पक्षकार है, जिसने जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया।

दिनांक 10/06/2019 को तहसीलदार मौजमाबाद से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुयी। दिनांक 06/08/2019 को वादी द्वारा पारिवारिक समझौता पत्र पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2073, प्रमाणित नामान्तरकरण, प्रमाणित जमाबन्दी, फोटो प्रति सजरा प्रमाण–पत्र, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र रामनारायण, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र सोनीदेवी, पहचान दस्तावेज फोटो प्रति देवाराम, विक्रय–पत्र फोटो प्रति तेजपाल, विक्रय–पत्र प्रति देवाराम एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, फर्द मौका

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) चूरू

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट, तहसीलदार रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता–पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 129, 680, 990 की आराजी आराजी सोनी पत्नी रामनारायण के नाम से मुताबिक जमाबन्दी दर्ज हिस्से अनुसार अंकित है, वादी ने जो सिजरा अंकित किया है, उसके अनुसार व वादीगण के कथनानुसार वादीगण के पिता रामनारायण के कोई जायन्दा औलाद नही होने से उसने अपने भाई रामचन्द्र व रामकरण के पुत्रान क्रमशः वादीगण देवाराम व छीतर को गोद ले लिया था, तब से वे दत्तक पुत्र की हैसियत के अनुसार उक्त आराजी पर काबिज काश्त थे, रामनारायण के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजीयात वादीगण के कथनानुसार रामनारायण की पत्नी सोनीदेवी एवं वादीगण के नाम से 1/3–1/3 हिस्से अनुसार दर्ज होनी चाहिये थी, लेकिन सोनीदेवी ने अकेले अपने नाम से ही दर्ज करवा लिया. अब सोनीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है, जो मृत्यु प्रमाण–पत्र से साबित है ग्राम पंचायत बोराज द्वारा जारी सजरा प्रमाण–पत्र क्रमांक 898/2017–18 दिनांक 20/11/2017 के अनुसार रामनारायण व सोनीदेवी का वारिश वादीगण को ही दर्ज कर रखा है, जिससे साबित है कि रामनारायण के वारिश सोनीदेवी के साथ–साथ वादीगण भी थे, जिनके नाम भी बराबर–बराबर हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिये था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि स्व0 रामनारायण के सगे भाई है, जो स्व0 रामनारायण व सोनीदेवी के द्वितीय श्रेणी के वारिशान है, लेकिन चूंकि वादीगण को स्व0 रामनारायण ने गोद ले लिया था, जो सिजरा से भी साबित है, इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार भी रामनारायण के जाऔलाद होने के कारण द्वितीयक वारिशों की श्रेणी में वादीगण आते है अब चूंकि सोनीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा विवादित आराजीयात जो कि पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होने से सोनीदेवी के नाम दर्ज आराजी के कानूनन वादीगण 1/2–1/2 हिस्से के वारिश एवं उत्तराधिकारी है तथा इसी अनुसार घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है एवं दावा डिक्री किये जाने मे किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर अपनी पूर्ण सहमति दी है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान पी. डब्ल्यू 1 लगायत पी.डब्ल्यू 4 ने भी वादीगण के वाद की ताईद की है, इसी प्रकार

Scanned by CamScanner

श्री व रामनारायण तथा सोनी के कोई जायन्दा औलाद नही हुयी थी। रामनारायण व सोनीदेवी ने स्वयं के जायन्दा संतान न होने से देवाराम व छीतर को अपने पास रख लिया था इनका पुत्रवत पालन पोषण किया तथा शादी विवाह किया तथा रामनारायण व सोनी की मृत्यु होने पर देवाराम व छीतर ने सोनी व रामनारायण का पुत्रवत हिन्दू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म किया था। इस प्रकार फर्द मौका रिपोर्ट से भी यह साबित है कि रामनारायण के पुत्र नही होने से वादीगण बतौर पुत्र की हैसियत से उसके पास रहे एवं उसके हिन्दू रीति रिवाज अनुसार समस्त क्रियाकर्म किये थे। जिससे भी वादीगण के वाद की ताईद होती है। इसी प्रकार वादीगण ने जो पारिवारिक समझौता पत्र पेश किया है, उसके अनुसार भी रामनारायण के भाईयों रामचन्द व रामकरण ने विवादित आराजी का पारिवारिक समझौता-पत्र के तहत वादीगण के हक व हिस्से की होना एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही होना दर्ज किया है। इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचन से यह पाया जाता है कि वादीगण अपने वाद-पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 प्रत्येक को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद बतौर राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 129 के आराजी खसरा नम्बर 12, 13, 14 कुल किता 03 कुल रकबा 1.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम चन्दगानपुरा खाता संख्या 680 के आराजी खसरा नम्बर 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1430 कुल किता 11 कुल रकबा 5.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, खाता संख्या 990 के आराजी खसरा नम्बर 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1175, 1178 कुल किता 08 कुल रकबा 3.9200 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद में सोनीदेवी पत्नी स्व0 रामनारायण के नाम से दर्ज भूमि में वादीगण को बहिस्सा बराबर-बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

नोट :- आदेश दिनांक 28/9/2019 अनुसार निर्णय के पृष्ठ सं. 6 की पंक्ति सं. 15 में दर्ज तालिका के प्रकरण/विवादी सं. 129 का खसरा रकबा लिखा जाना है तथा पंक्ति सं. 19 में ख.नं. 12, 13, 14 का कुल रकबा 1.0600 हे. के स्थान पर कुल रकबा 1.2900 है पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

# डिक्री मुकदमा इस्तगासा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) डूडू जिला जयपुर
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

मोहन, धीरज पुत्रान रामनारायण ... रामकरण, रामचन्द्र पुत्रान भैरव जाति जाट
निवासी ढाणी बावरियान, भोजपुरा ... बनाम ... ढाणी, बावरियान तह. मौजमाबाद
जिला जयपुर)

मुकदमा नं. 40 सन 2018 जिला - जयपुर, तहसील मौजमाबाद

... श्री प्रहलाद चतरा

... श्री निरंजन कुमार पारीक प्रति वादी सं. 1 व 2

... सरकार (तहसीलदार) ... दी ...

दरख्वास्त बाबत तरमीम नामान्तरकरण डिक्री जिला कलेक्टर अरजी खाता संख्या 129 के आराजी खसरा नम्बर 12, 13, 14 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6600 हैक्टेयर वाके ग्राम चेनपुरा, खाता संख्या 680 के आराजी ख.नं. 1414, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1430 कुल किता 11 कुल रकबा 5.2600 है. वाके ग्राम भोजपुरा खाता संख्या 990 के आराजी ख.नं. 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1175, 1178 कुल कि.त. 08 कुल रकबा 3.8200 है. वाके ग्राम भोजपुरा, तह. मौजमाबाद में

... 02 ... 07 ... 2019

हस्ताक्षर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) डूडू

Scanned by CamScanner

सोनीदेवी पत्नी स्व० रामनारायण के नाम से दर्ज भूमि में वादीगण को हिस्सा बराबर - बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

नोट :- आदेश दिनांक 28/09/2019 के अनुसार ख०न० 12,13,14 का कुल रकबा 1.0600 हैक्टेयर के स्थान पर कुल रकबा 1.2900 हैक्टेयर पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner